न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 39/2017

प्रार्थी–	***बनाम***	अप्रार्थीगण–
द्वारकादास पुत्र राणामल जाति सोनी निवासी गूंगा तहसील शिव जिला बाड़मेर		1. ग्राम पंचायत गूंगा जरिये सरपंच 2. रामेश्वरलाल पुत्र बिहारीलाल जाति सोनी 2/1 बृजमोहन पुत्र रामेश्वरलाल 2/2 राजेन्द्र पुत्र रामेश्वरलाल 2/3 मदन पुत्र रामेश्वरलाल 2/4 बाबुलाल पुत्र रामेश्वरलाल जाति सोनी निवासी गूंगा तहसील शिव जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 19 दिनांक 05.01.2002 जो ग्राम पंचायत गूंगा द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री रमेश कुमार गौड़, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री भजनलाल गोदारा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 12.02.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत गूंगा की ओर से अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 19 दिनांक 05.01.2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी ग्राम पंचायत गूंगा द्वारा अप्रार्थी सं. 2 रामेश्वरलाल पुत्र बिहारीलाल जाति सोनी निवासी गूंगा तहसील शिव जिला बाड़मेर के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के अधीन ग्राम गूंगा मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का विक्रय विलेख सं. 19 दिनांक 05.01.2002 जारी किया गया। इस भूखण्ड की नाप एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 10:49:05 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार 770 वर्गगज दर्शाया गया है। उक्त पट्टा ग्राम पंचायत गूंगा द्वारा बिना संकल्प लिये एवं नियमानुसार कार्यवाही किये जारी करने मे घोर अनियमितता और अवैधानिकता बरती जाने को आधार मानते हुए प्रार्थी ने उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत गूंगा का प्रश्नगत अभिलेख मंगवाया गया। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत गूंगा द्वारा अपने पत्राचार दिनांक 22.05.2024 द्वारा लिखित में प्रकट किया गया कि ग्राम पंचायत गूंगा के रेकर्ड मे इन पट्टों की मिसल व ग्राम सभा रजिस्टर नहीं पाया गया हैं। उक्त रेकर्ड 2006 से पूर्व बाढ़ मे पूरा रेकर्ड नष्ट व बह गया होना बताया है।

4. हमने अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 2 के अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि प्रार्थी का गांव गूंगा की आबादी भूमि में कई वर्षो से निवास है, विप्रार्थी रामेश्वरलाल या उनके वारिशान का वादग्रस्त भूखण्ड पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। ग्राम पंचायत गूंगा द्वारा जारी उक्त पट्टा जारी किया है उसमें उन्होने राजस्थान पंचायत नियम 1996 के नियम 157 (ख) के तहत पट्टा जारी करने का लिखा है, उक्त नियम के अनुसार जिस व्यक्ति के पक्ष में पट्टा जारी किया जाता है उस व्यक्ति का उस मकान या भूखण्ड पर बहुत पुराना कब्जा होना चाहिए परन्तु वादग्रस्त भूखण्ड पर विप्रार्थी संख्या 2 का कभी भी कब्जा नहीं रहा इसके अलावा वादग्रस्त भूखण्ड मौके पर वास्तव मे रास्ते का भाग है, जो विद्यालय को जाता है उक्त पट्टा जारी करने से विद्यालय को जाने का रास्ता भी बंद हो गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत गूंगा ने उक्त पट्टा जारी करने में विधिक प्रावधानों की अनदेखी की है। ऐसी स्थिति में पट्टा संख्या 19 निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाद जांच विवादित

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 10:49:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

पट्टा सं. 19 दिनांक 05.01.2002 को प्रभावहीन एवं शुन्य घोषित करते हुए निरस्त फरमाया जावें।

5. अप्रार्थी सं. 2 के योग्य अधिवक्ता ने जवाब में प्रकट किया कि प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य का कोई भूखण्ड मौके पर नहीं हैं बल्कि उक्त भूखण्ड अप्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य का पट्टाशुदा हैं। अप्रार्थी के पक्ष में पुराने कब्जे के आधार पर नियमानुसार पट्टा जारी किया गया हैं तथा आलौच्य पट्टा से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही ग्राम पंचायत कार्यालय में सम्पन्न हुई हैं तथा रेकर्ड में संधारित किया गया था जो अब यदि ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नही हैं तो इसकी जानकारी अप्रार्थी को नहीं है किन्तु पत्रावली उपलब्ध नहीं होने के आधार पर उक्त पट्टा शुन्य और अकृत होना नहीं माना जा सकता हैं। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना पत्र मयाद बाहर होने के साथ ही सारहीन एव आधारहीन होने से मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावें।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। ग्राम पंचायत गूंगा द्वारा अप्रार्थी सं. 2 रामेश्वरलाल पुत्र बिहारीलाल जाति सोनी निवासी गूंगा तहसील शिव जिला बाड़मेर के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के अधीन ग्राम गूंगा मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का विक्रय विलेख सं. 19 दिनांक 05.01.2002 जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार 770 वर्गगज दर्शाया गया है। उक्त पट्टा ग्राम पंचायत गूंगा द्वारा बिना संकल्प लिये एवं नियमानुसार कार्यवाही किये जारी करने मे घोर अनियमितता और अवैधानिकता बरती जाने को आधार मानते हुए प्रार्थी ने उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र [illegible] प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र में मुख्य आधार यह प्रकट किया हैं कि विवादित भूखण्ड रास्ते का भाग है जो एकमात्र रास्ता [illegible] की जाता हैं, ऐसे में ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी सं. 2 को गलत रूप से भूमि का नियमितीकरण किया गया

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 10:49:05 IST
Reason: SelfAttested

हैं। ऐसे में यदि आलौच्य पट्टे में उल्लेखित भूखण्ड सार्वजनिक रास्ते का होना मानते हुए सुखाचार का अनुतोष चाहता है तो इसके लिये सक्षम सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर चाराजोही कर सकता हैं। ग्राम पंचायत के द्वारा जारी उक्त पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नही होने से उसका अवलोकन नहीं किया जा सकता हैं तथा इसके अभाव में इसके जारी करने में किसी प्रकार की अवैधता अथवा अनियमितता की जांच संभव नही हैं साथ ही यदि पत्रावली ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नही हैं तो इसके इस निगरानी प्रार्थना पत्र के द्वारा आलौच्य पट्टे एवं ग्राम पंचायत की कार्यवाही पर अनियमितता, अपूर्णता एवं अवैधता हुई है अथवा नहीं, कोई निर्णय दिया जाना संभव नही होने से प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किये जाते है।

8. निर्णय आज दिनांक 12.02.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 10:49:05 IST
Reason: SelfAttested